[2019] 3 उम. नि. प. 79

बीर सिंह

बनाम

मुकेश कुमार

6 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – चैक का अनादरण – दोषसिद्धि – उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में अपनी वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, निचले न्यायालयों के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलटा जाना – चुनौती – उच्च न्यायालय धारा 482 के अधीन अपनी वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निचले न्यायालयों के तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्षों को उलट देता है तो ऐसा करना अविधिमान्य और अधिकारिता के परे कार्य होगा क्योंकि वह निचले न्यायालयों के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष को किसी अधिकारिता संबंधी गलती या अनुचितता के बिना उलट नहीं सकता है और यह कि अभिलेख पर के साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और पुन:निर्वचन करना पुनरीक्षण न्यायालय का कार्य नहीं है ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 – धारा 138 और 139 – चैक का अनादरण – उपधारणा – दोषसिद्धि – यदि चैक के लेखीवाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित चैक पाने वाले को दिया जाता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि चैक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया है और यदि लेखीवाल द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करके तत्प्रतिकूल आशय को साबित करके इस उपधारणा का खंडन नहीं किया जाता है, तो चैक का अनादरण होने पर वह धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि का हकदार होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपीलार्थी-परिवादी को 15 लाख रुपए के एक "मैत्रीपूर्ण उधार" के प्रतिसंदाय के लिए एक चैक जारी किया था अपीलार्थी-परिवारी ने उक्त चैक अपने बैंक में जमा

किया जो "अपर्याप्त निधि" पृष्ठांकन के साथ वापस आ गया । अपीलार्थी-परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त के इस आश्वासन पर कि चैक की रकम के लिए उसके खाते में पर्याप्त निधियां होंगी, उसने चैक पुन: बैंक में प्रस्तुत किया, किंतु यह पुन: "अपर्याप्त निधि" टिप्पणी के साथ वापस आ गया । अपीलार्थी-परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को विधिक सूचना जारी की गई किंतु उसके द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही अपीलार्थी-परिवादी के चैक की रकम का संदाय किया । अपीलार्थी-परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलवल के समक्ष प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध एक दांडिक परिवाद फाइल किया । न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पलवल ने तारीख 9 फरवरी, 2015 के निर्णय और आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और उसे उक्त निर्णय और आदेश की तारीख से एक माह के भीतर अपीलार्थी-परिवादी को 15 लाख रुपए के प्रतिकर का संदाय करने का भी निदेश दिया । प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने व्यथित होकर अपर सेशन न्यायाधीश, पलवल के न्यायालय में तारीख 9 मार्च, 2015 को एक दांडिक अपील फाइल की । अपील न्यायालय ने तारीख 20 फरवरी, 2016 के निर्णय और आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त की परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा और अपीलार्थी-परिवादी को संदत्त किए जाने के लिए 15 लाख रुपए के प्रतिकर के निदेश की पुष्टि की । तथापि, कारावास के दंडादेश को एक वर्ष से कम करके छह माह कर दिया गया । प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपील न्यायालय के निर्णय और आदेश का चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की । अपीलार्थी-परिवादी ने भी दंडादेश को एक वर्ष से कम करके छह माह करने को चुनौती देते हुए दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने तारीख 21 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट दिया और प्रत्यर्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप से, अन्य बातों के साथ-साथ,

यह मत व्यक्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अपीलार्थी-परिवादी, जो एक आय-कर व्यवसायी है, और प्रत्यर्थी-अभियुक्त, जो उसका मुवक्किल था, के बीच वैश्वासिक संबंध था । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीले फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस अपील में विधि के जो प्रश्न उद्भूत होते हैं वे हैं – (i) क्या पुनरीक्षण न्यायालय अपनी वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारिता संबंधी गलती या विधि की गलती न होते हुए दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है और (ii) क्या चैक, जो सम्यक् रूप से लिखा गया है और किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन में जारी किया गया है, का पाने वाला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा के फायदे का केवल इस कारण हकदार नहीं है क्योंकि उसके उस व्यक्ति के साथ वैश्वासिक संबंध थे जिसने चैक काटा है । यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अनुचितता के अभाव में समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट नहीं सकता है । अभिलेख पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और पुन:निर्वचन करना पुनरीक्षण न्यायालय का काम नहीं है । विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि यदि अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा कोई गलत आदेश भी पारित किया जाता है तो पुनरीक्षण न्यायालय किसी अधिकारिता संबंधी गलती के अभाव में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा । अत:, प्रथम प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है । उच्च न्यायालय ने तारीख 21 नवम्बर, 2017 का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 का गलत अर्थान्वयन किया है, जिसमें यह आदिष्ट है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन परिकल्पित उपधारणा एक खंडन करने योग्य उपधारणा है । तथापि, यह साबित करने का भार कि चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए नहीं था, चैक

काटने वाले अभियुक्त पर होगा । (पैरा 16, 19, 20 और 21)

परक्राम्य लिखत अधिनियम के उपबंधों, जिनमें विशिष्ट रूप से धारा 20, 87 और 139 सम्मिलित हैं, के सार्थक अनुशीलन से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जो चैक पर हस्ताक्षर करता है और पाने वाले के हवाले करता है तो वह तब तक दायी बना रहता है जब तक वह इस उपधारणा का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता है कि चैक किसी ऋण का संदाय करने के लिए या किसी दायित्व का उन्मोचन करने के लिए जारी नहीं किया गया था । यदि चैक पर चैक के लेखीवाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं तो यह बात अतात्विक है कि चैक, चैक के लेखीवाल से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया था और यदि चैक अन्यथा विधिमान्य है, तो धारा 138 के शास्तिक उपबंध लागू होंगे । प्रत्यर्थी-अभियुक्त का यह पक्षकथन नहीं है कि उसने किसी भय या प्रपीड़न के अधीन चैक पर हस्ताक्षर किए थे या इसे उससे लिया गया था । प्रत्यर्थी-अभियुक्त का यह भी पक्षकथन नहीं है कि भरा नहीं गया हस्ताक्षरित चैक चोरी हो गया था । चैक के पाने वाले और इसके लेखीवाल के बीच वैश्वासिक संबंध होने की बात चैक के पाने वाले को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा के फायदे के हक से, असम्यक् प्रभाव या प्रपीड़न के प्रयोग के साक्ष्य के अभाव में, वंचित नहीं करेगी । दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक दिया जाता है । यहां तक कि स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए गए और अभियुक्त द्वारा सौंपे गए कोरे चैक से भी यह दर्शित करने वाले किसी सटीक साक्ष्य के अभाव में कि चैक किसी ऋण के उन्मोचन के लिए जारी नहीं किया गया था, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा लागू होगी । ऐसे किसी निष्कर्ष के अभाव में कि प्रश्नगत चैक पर प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए गए थे या पाने वाले को स्वेच्छा से नहीं दिया गया था तथा उन परिस्थितियों के विषय में, जिनमें अपीलार्थी-परिवादी को हस्ताक्षरित कोरा चैक दिया गया था, किसी साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि चैक अपीलार्थी-परिवादी, जो पाने वाला है, द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त, जो लेखीवाल है, के अनुरोध पर

और/या उसकी उपमति से भरा गया था । भरे न गए हस्ताक्षरित चैक को बाद में भरना इसमें परिवर्तन करना नहीं है । चैक की रकम, इसकी तारीख या पाने वाले के नाम में कोई परिवर्तन नहीं था । उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप से दोषमुक्त नहीं करना चाहिए था । न्यायालय की सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके स्पष्ट गलती की है कि यह साबित करने का भार अपीलार्थी-परिवादी पर था कि उसने उधार दिया था और उसे हस्ताक्षरित कोरा चैक उसके प्रतिसंदाय के लिए दिया गया था । उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी-परिवादी का पक्षकथन अत्यंत संदेहास्पद बन गया है या युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं है, ऊपर चर्चा किए गए कारणों से स्पष्ट रूप से गलत है । (पैरा 37, 38, 39, 40, 42 और 43)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. 177 : **एमएसआर लेदर्स** बनाम **एस. पलानीअप्पन और एक अन्य** ;	10
[2012]	(2012) 13 एस. सी. सी. 375 : **लक्ष्मी डाइचेम** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** ;	25
[2012]	(2012) 1 एस. सी. सी. 260 : **आर. विजयन** बनाम **बेबी और एक अन्य** ;	28,29
[2011]	(2011) 6 एस. सी. सी. 16 : **हितेन पी. दलाल** बनाम **ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी** ;	22,23
[2009]	(2009) 6 एस. सी. सी. 72 : **राजकुमार खुराना** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली) और एक अन्य** ;	30
[2009]	(2009) 2 एस. सी. सी. 513 : **कुमार एक्सपोर्ट्स** बनाम **शर्मा कारपेट्स** ;	26

[2008] (2008) 14 एस. सी. सी. 457 :
साउदर्न सेल्स एंड सर्विसेज और अन्य बनाम
साउरमिल्च डिजाइन एंड हेंडल्स जीएमबीएच ; 20

[2008] (2008) 4 एस. सी. सी. 54 :
कृष्णा जनार्धन भट बनाम **दत्तात्रेय जी. हेगड़े** ; 33

[2007] (2007) 12 एस. सी. सी. 714 :
जॉन के जॉन बनाम **टॉम वर्गीस और एक अन्य** ; 31

[2005] (2005) 5 एस. सी. सी. 294 :
रणजीतसिंह ब्रहमजीत सिंह शर्मा बनाम
महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य ; 24

[2001] (2001) 8 एस. सी. सी. 458 :
के. एन. बीना बनाम **मुनियप्पन और एक अन्य** ; 27

[2001] (2001) 1 एस. सी. सी. 70 :
राजेश रंजन यादव उर्फ **पप्पू यादव** बनाम
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मार्फत निदेशक ; 24

[1992] (1992) 1 एस. सी. सी. 489 :
पंजाब राज्य और अन्य बनाम
सुरिन्द्र कुमार और अन्य ; 34

[1958] ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 61 :
मद्रास राज्य बनाम **वैद्यनाथ अय्यर** । 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 230-231.

2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 849 (ओ एंड एम) और 2016 के दांडिक पुनरीक्षण (ओ एंड एम) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के तारीख 21 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री प्रदीप के. कौशिक और राजीव मंगला

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री साजू जकेब, सी. एम. जय कुमार, अभिषेक जायसवाल, जेरुसी कुरियन और (सुश्री) लिली ईसाबेल थोमस

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी ने दिया ।

न्या. (सुश्री) बनर्जी – इजाजत दी गई ।

2. ये अपीलें प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा 2015 की दांडिक अपील सं. 13 में सेशन न्यायाधीश, पलवल द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थी-अभियुक्त की परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पलवल द्वारा पारित उसकी दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि करते हुए तारीख 20 फरवरी, 2016 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा फाइल की गई 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका 849 को मंजूर करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं ।

3. अपीलार्थी-परिवादी का यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपीलार्थी के नाम में एक्सिस बैंक, शाखा, पलवल के नाम लिखा गया एक चैक (चैक सं. 034212, तारीख 4-3-2012) जारी किया था जो अपीलार्थी-परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को उधार दिए गए 15 लाख रुपए के "मैत्रीपूर्ण उधार" के प्रतिसंदाय के निमित्त था ।

4. अपीलार्थी-प्रतिवादी ने तारीख 11 अप्रैल, 2012 को उक्त चैक अपने बैंक में जमा किया, किंतु चैक "अपर्याप्त निधि" पृष्ठांकन के साथ असंदत्त वापस आ गया ।

5. अपीलार्थी-परिवादी का यह अभिकथन है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त के इस आश्वासन पर कि उसके बैंक खाते में चैक की रकम की व्याप्ति के लिए पर्याप्त निधियां होंगी, अपीलार्थी-परिवादी ने पुन: तारीख 23 मई, 2012 को अपने बैंक में चैक प्रस्तुत किया, किंतु यह पुन:, "अपर्याप्त निधि" टिप्पणी के साथ असंदत्त वापस आ गया ।

6. अपीलार्थी-परिवादी ने तारीख 15 जून, 2012 को अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी-अभियुक्त को एक विधिक सूचना प्रत्यर्थी-अभियुक्त को चैक की रकम का संदाय करने के लिए कहते हुए जारी की । अपीलार्थी-परिवादी के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई उक्त सूचना प्रत्यर्थी-अभियुक्त पर सम्यक् रूप से तामील की गई थी । तथापि, प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने सूचना का उत्तर नहीं दिया । न ही उसने अपीलार्थी-परिवादी को चैक की रकम का संदाय किया ।

7. अपीलार्थी-परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलवल के समक्ष प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध एक दांडिक परिवाद (2012 का मामला सं. 106) फाइल किया ।

8. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और 139 सुविधा के लिए इसमें नीचे उपवर्णित की जाती है :–

> **"138. खातों में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चैक का अनादरण** – जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चैक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चैक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार के द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चैक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :
>
> परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक –

(क) वह चैक उसके, लिखे जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो ;

(ख) चैक का पाने वाला या सम्यक् अनुक्रम में धारक चैक के लेखीवाल को, असंदत्त चैक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, लिखित रूप से सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है ; और

(ग) ऐसे चैक का लेखीवाल, यथास्थिति, चैक के पाने वाले को या सम्यक् अनुक्रम में धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय करने में असफल नहीं रहता है ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" से विधित: प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है ।

139. धारक के पक्ष में उपधारणा – जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारण की जाएगी कि चैक के धारक से धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है ।"

9. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य चैकों सहित परक्राम्य लिखतों के प्रति विश्वसनीयता अनुप्रमाणित करना और वित्तीय संव्यवहारों में चैकों सहित परक्राम्य लिखतों के प्रयोग को प्रोत्साहित और संप्रवर्तित करना है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के शास्तिक उपबंध का आशय चैकों जैसी परक्राम्य लिखतें जारी करने में विवक्षित वचन को पूरा करने के गंभीर आशय के बिना उन्हें बदनियत से जारी करने को भयोपरतकारी बनाना है ।

10. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चैक की रकम के संदाय में दूसरी बार या उत्तरोत्तर व्यतिक्रम करने के आधार पर कोई अभियोजन केवल इस कारण अननुज्ञेय नहीं है कि प्रथम बार व्यतिक्रम करने पर कोई कानूनी सूचना जारी नहीं की गई थी और अभियोजन के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं

की गई थी । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **एमएसआर लेदर्स** बनाम **एस. पलानीअप्पन और एक अन्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, किसी ऐसे मामले में जहां व्यतिक्रम किया गया है और अभियोजन तुरंत चलाया गया है तथा एक अन्य मामले में जहां चैक के पुनः प्रस्तुत करने और दूसरी बार या उत्तरोत्तर अनादृत होने तक अभियोजन आस्थगित किया जाता है, इन दोनों के बीच कोई वास्तविक या गुणात्मक फर्क नहीं है ।

11. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पलवल ने तारीख 9 फरवरी, 2015 के निर्णय और आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और उसे उक्त निर्णय और आदेश की तारीख से एक माह के भीतर अपीलार्थी-परिवादी को 15 लाख रुपए के प्रतिकर का संदाय करने का भी निदेश दिया । प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने व्यथित होकर अपर सेशन न्यायाधीश, पलवल के न्यायालय में तारीख 9 मार्च, 2015 को एक दांडिक अपील सं. 13/2015 फाइल की ।

12. अपील न्यायालय ने तारीख 20 फरवरी, 2016 के निर्णय और आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त की परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखा और अपीलार्थी-परिवादी को संदत्त किए जाने वाले 15 लाख रुपए के प्रतिकर के निदेश की पुष्टि की । तथापि, कारावास के दंडादेश को एक वर्ष से कम करके छह माह कर दिया गया ।

13. प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपील न्यायालय के निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 849 फाइल की । अपीलार्थी-परिवादी ने भी दंडादेश को एक वर्ष से कम करके छह माह करने को चुनौती देते हुए 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2017 फाइल की ।

---

[1] (2013) 1 एस. सी. सी. 177.

14. उच्च न्यायालय ने तारीख 21 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश द्वारा, जो कि हमारे समक्ष आक्षेपित है, विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट दिया और प्रत्यर्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मत व्यक्त करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि अपीलार्थी-परिवादी, जो एक आय-कर व्यवसायी है, और प्रत्यर्थी-अभियुक्त, जो उसका मुवक्किल था, के बीच वैश्वासिक संबंध थे ।

15. उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया :–

> "परिवादी का अभियुक्त-याची के साथ वैश्वासिक संबंध था । इसलिए, यह साबित करने का अधिक भार परिवादी पर था कि उसने उधार दिया था और उसके लिए कोरा चैक दिया गया था । परिवादी एक आय-कर व्यवसायी है और वह जानता है कि जब कभी किसी व्यक्ति को उधार दिया जाता है, उसकी रसीद अभिप्राप्त की जानी चाहिए और यह कि ऐसी बड़ी रकम केवल चैक या डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से दी जानी चाहिए । अभियुक्त-याची परिवादी का मुवक्किल था और उनके वृत्तिक संबंध थे । अभियुक्त-याची परिवादी का कोई संबंधी नहीं था । कोई कारण नहीं कि परिवादी, जो एक आय-कर व्यवसायी है, अपने मुवक्किल को किसी घनिष्ठ नातेदारी के बिना और इस आशय के किसी लेख के बिना इतना बड़ा उधार क्यों देगा । अधिक भार परिवादी पर था । ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त-याची यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है कि परिवादी ने उसे आय-कर का संदाय करने के लिए खजाने में जमा करने हेतु दिए गए कोरे चैकों में से किसी का दुरुपयोग किया होगा ।
>
> अभियुक्त-याची ने अपने पक्षकथन का समर्थन करने के लिए स्वयं को कठघरे में खड़ा करने का जोखिम उठाया और स्वयं को प्रति-परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया । उसने प्रति-परीक्षा में यह प्रकथन किया कि कर वापसी नकद में जमा की गई थी और

परिवादी उससे नकदी लेता रहता था । उसके वृत्तांत का समर्थन एक प्रवीण कुमार नामक व्यक्ति, प्रति. सा. 2 द्वारा भी किया गया था ।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के वैश्वासिक संबंध थे और यह साबित करने का अधिक भार परिवादी पर था कि उसने अपने मुवक्किल को किसी लेख के बिना ही 15,00,000/- रुपए उधार दिए थे और यह कि उसने अपने मुवक्किल के किसी कोरे चैक का दुरुपयोग नहीं किया था । ऐसा उधार परिवादी की आय-कर विवरणी में नहीं दर्शाया गया था ।

ऊपर उल्लिखित कारणों से, परिवादी का पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है और सभी युक्तियुक्त संदेह के परे नहीं है । अतः, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है । दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त-याची को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित करके गलती की है ।

पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिक सं. 849 मंजूर की जाती है और 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 2017 खारिज की जाती है । अभियुक्त-याची को उस पर तामील अभ्यारोपण की सूचना से दोषमुक्त किया जाता है ।"

16. हमारे समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय के समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलटकर ठीक किया है या नहीं । इस अपील में विधि के जो प्रश्न उद्भूत होते हैं वे हैं – (i) क्या पुनरीक्षण न्यायालय अपनी वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारिता संबंधी गलती या विधि की गलती न होते हुए दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है और (ii) क्या चैक, जो सम्यक् रूप से लिखा गया है और किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन में जारी किया गया है, का पाने वाला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा के फायदे का केवल इस

कारण हकदार नहीं है क्योंकि उसके उस व्यक्ति के साथ वैश्वासिक संबंध थे जिसने चैक लिखा है ।

17. विचारण न्यायालय संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने पर इस तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने 15 लाख रुपए का प्रश्नगत चैक ऋण या दायित्व के उन्मोचन में अपीलार्थी-परिवादी के पक्ष में सम्यक् रूप से जारी किया था, चैक को इसकी वैध अवधि के भीतर संदाय के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया था किंतु चैक प्रत्यर्थी-अभियुक्त के उस बैंक के खाते में, जिस पर चैक लिखा गया था, पर्याप्त निधियां न होने के कारण असंदत्त लौटा दिया गया था । अनादर की कानूनी सूचना सम्यक् रूप से जारी की गई थी जिसका प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था ।

18. अपील न्यायालय ने पूर्वोक्त तथ्यात्मक निष्कर्षों की अभिपुष्टि की । विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय इस समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे कि चैक पर, स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त की इस स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए कि करों का भुगतान नगद में किया गया था जिसके लिए अपीलार्थी-परिवादी प्रत्यर्थी से नकद रूप में रकम लेता रहता था, प्रत्यर्थी-अभियुक्त के इस अभिवाक् को नामंजूर कर दिया कि अपीलार्थी-परिवादी ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा अपीलार्थी-परिवादी को आय-कर जमा करने के लिए दिए गए एक कोरे हस्ताक्षरित चैक का दुरुपयोग किया था ।

19. यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अनुचितता के अभाव में समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट नहीं सकता है । अभिलेख पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और पुन:निर्वचन करना पुनरीक्षण न्यायालय का काम नहीं है ।

20. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **साउदर्न सेल्स एंड सर्विसेज और अन्य** बनाम **साउरमिल्च डिजाइन एंड हेंडल्स जीएमबीएच**[1] वाले मामले

---

[1] (2008) 14 एस. सी. सी. 457.

में अभिनिर्धारित किया गया है, विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि यदि अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा कोई गलत आदेश भी पारित किया जाता है तो पुनरीक्षण न्यायालय किसी अधिकारिता संबंधी गलती के अभाव में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा । अत:, प्रथम प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है ।

21. उच्च न्यायालय ने तारीख 21 नवम्बर, 2017 का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 का गलत अर्थान्वयन किया है, जिसमें यह आदिष्ट है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन परिकल्पित उपधारणा एक खंडन करने योग्य उपधारणा है । तथापि, यह साबित करने का भार कि चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए नहीं था, चैक काटने वाले अभियुक्त पर होगा ।

22. **हितेन पी. दलाल** बनाम **ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 138 और 139 दोनों में यह अपेक्षा की गई है कि न्यायालय जिन रकमों के लिए चैक काटे जाते हैं उन चैकों के लेखीवाल के दायित्व की उपधारणा करेगी । **मद्रास राज्य** बनाम **वैद्यनाथ अय्यर**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह उपधारणा करना न्यायालय के लिए आबद्धकर है ।

23. धारा 139 में साबित करने के भार के बारे में साधारण नियम का एक अपवाद पुर:स्थापित किया गया है और यह भार अभियुक्त पर स्थानांतरित किया गया है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा एक विधि की उपधारणा है जो तथ्यों की उपधारणा से भिन्न है । उपधारणाएं साक्ष्य के नियम हैं और निर्दोषिता की उस

---

[1] (2011) 6 एस. सी. सी. 16.

[2] ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 61.

उपधारणा से संघर्ष नहीं है जिसमें अभियोजन पक्ष से अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामला साबित करने की अपेक्षा की जाती है । जैसा कि **हितेन पी. पटेल** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, अभियोजन पक्ष पर बाध्यता का उन्मोचन विधि की उपधारणाओं और तथ्य की उपधारणाओं की सहायता से तब किया जा सकता है जब अभियुक्त ने उपधारित तथ्य के विद्यमान न होने की युक्तियुक्त संभाव्यता दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हो ।

24. निर्दोषिता की उपधारणा करना निस्संदेह एक मानव अधिकार है, जैसा कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी की ओर से **रणजीतसिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] तथा **राजेश रंजन यादव** उर्फ **पप्पू यादव** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मार्फत निदेशक**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेकर दलील दी गई है । तथापि, जैसा कि ऊपर मत व्यक्त किया गया है, दोषिता को विधि की उपधारणाओं और तथ्य की उपधारणाओं का अवलंब लेकर सिद्ध किया जा सकता है ।

25. **लक्ष्मी डाइचेम** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह दोहराया कि धारा 139 की दृष्टि से यह उपधारणा की जानी चाहिए कि चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था, किंतु इस उपधारणा का साक्ष्य प्रस्तुत करके खंडन किया जा सकता है । तथापि, सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो उपधारणा का खंडन करना चाहता है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "इस उपधारणा के साथ-साथ अधिनियम के अध्याय-17 के उद्देश्य को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी आगे की तारीख डाले हुए चैक की रकम को मंसूख करने पर किसी पक्षकार को अधिनियम की धारा 138 के शास्तिक उपबंध से बच निकलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ।"

---

[1] (2005) 5 एस. सी. सी. 294.

[2] (2001) 1 एस. सी. सी. 70.

[3] (2012) 13 एस. सी. सी. 375.

26. **कुमार एक्सपोर्ट्स** बनाम **शर्मा कारपेट्स**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह दोहराया कि यह उपधारणा की जाती है कि सम्यक् रूप से निष्पादित प्रत्येक परक्राम्य लिखत किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए है, किंतु यह उपधारणा तत्प्रतिकूल साबित करके खंडन करने योग्य है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह पाया गया कि प्रश्नगत चैक कारपेट खरीदने के लिए अग्रिम हेतु था, जो कारपेट वास्तव में चैक के पाने वाले द्वारा चैक काटने वाले को बेचे नहीं गए थे, यह बात विक्रय कर विभाग के एक पदधारी के अभिसाक्ष्य से साबित होती है जिसने यह कथन किया था कि चैक पाने वाले ने यह माना था कि उसने कारपेट नहीं बेचे थे ।

27. **के. एन. बीना** बनाम **मुनियप्पन और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 के साथ पठित धारा 139 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को यह उपधारणा करनी चाहिए थी कि चैक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था । उक्त उपधारणा खंडन करने योग्य थी और अभियुक्त द्वारा तत्प्रतिकूल साबित करके इसका खंडन किया जा सकता था । किंतु अभियुक्त द्वारा केवल इनकार या खंडन करना पर्याप्त नहीं था । अभियुक्त को सटीक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहिए था कि कोई ऋण या दायित्व नहीं था । इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को इस आधार पर कार्यवाही करते हुए गलत रूप से अपास्त किया है कि अभियुक्त के उत्तर में जो इनकार/प्रकथन किए गए हैं वे परिवादी पर यह साबित करने के लिए सबूत का भार स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त थे कि चैक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था । यह पूर्ण रूप से एक गलत दृष्टिकोण था । अभियुक्त को विचारण में सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना चाहिए था कि कोई ऋण या दायित्व नहीं था ।

---

[1] (2009) 2 एस. सी. सी. 513.

[2] (2001) 8 एस. सी. सी. 458.

28. **आर. विजयन** बनाम **बेबी और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय-17 का उद्देश्य शास्तिक तथा प्रतिकरात्मक और अवरोधक दोनों हैं । इसमें चैक के अनादर के कारण दांडिक दायित्व के प्रवर्तन के लिए और चैक की रकम की वसूली के लिए सिविल दायित्व के प्रवर्तन के लिए, लेनदार को अनुतोष के लिए दो अलग-अलग न्यायालय में समावेदन करने की आवश्यकता को दूर करते हुए एक ही न्यायालय और एक ही कार्यवाही का उपबंध किया गया है । इस न्यायालय ने अपना यह मनस्ताप जाहिर किया कि कुछ मजिस्ट्रेट इस परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाते हैं कि दांडिक कार्यवाहियां दंड अधिरोपित करने के लिए हैं और प्रतिकर के संदाय के लिए निदेश देने के विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करते जिससे परिवादी को पर्याप्त कठिनाई झेलनी पड़ती है क्योंकि निरपवाद रूप से जब तक दांडिक मामले का विनिश्चय किया जाएगा उस समय तक सिविल मामला फाइल करने की परिसीमा का पर्यवसान हो जाएगा ।

29. **आर. विजयन** बनाम **बेबी और एक अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जब तक विशेष परिस्थितियां न हों, न्यायालय को दोषसिद्धि के सभी मामलों में चैक की रकम के दोगुने तक जुर्माना उद्गृहीत करने की शक्ति का एकरूपता से प्रयोग करना चाहिए और चैक की रकम को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हानि की मात्रा के रूप में उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित ऐसी रकम को प्रतिकर के रूप में संदाय करने का निदेश देना चाहिए । इस न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि भिन्न-भिन्न न्यायालयों द्वारा एक जैसे मामलों का विनिश्चय करने में एकरूपता और निरंतरता से न केवल परक्राम्य लिखत के रूप में चैक की विश्वसनीयता अपितु न्यायालयों की भी विश्वसनीयता बढ़ती है ।

30. **राजकुमार खुराना** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली) और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय का निर्णय उस

---

[1] (2012) 1 एस. सी. सी. 260.

[2] (2009) 6 एस. सी. सी. 72.

मामले के विशिष्ट तथ्यों में दिया गया था, जहां चैक के लेखीवाल ने पुलिस और बैंक को यह इत्तिला दी थी कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित दो कोरे चैक चोरी हो गए हैं ।

31. प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से उद्धृत **जॉन के जॉन** बनाम **टॉम वर्गीस और एक अन्य**[1] वाले मामले में पुन: प्रतिवादित यह प्रतिपादना सुस्थापित है कि यदि दो मत संभव हैं, तो यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सामान्यतया दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

32. पूर्वोक्त मामले में, इस न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषमुक्ति की अभिपुष्टि उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में की थी जहां पक्षकारों के बीच कई सिविल वाद लंबित थे ।

33. प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से उद्धृत किए गए **कृष्णा जनार्धन भट** बनाम **दत्तात्रेय जी. हेगड़े**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने पुन: अभिपुष्टि की कि अधिनियम की धारा 139 में यह उपधारणा की गई है कि सम्यक् रूप से काटा गया चैक किसी ऋण या दायित्व के लिए था । तथापि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह राय थी कि निचले न्यायालयों ने विधिक सिद्धांतों को गलत रूप से लागू करके मामले में पूरी तरह से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है ।

34. यह सुस्थिर है कि कोई निर्णय विधि के उस विवाद्यक के लिए नजीर है जो उठाया और विनिश्चित किया जाता है । यह मामले का विनिश्चयाधार है जो एक आबद्धकर नजीर के रूप में प्रवर्तित होता है। जैसा कि **पंजाब राज्य और अन्य** बनाम **सुरिन्द्र कुमार और अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, सभी न्यायालयों पर जो आबद्धकर है वह है जो उच्चतम न्यायालय संविधान

---

[1] (2007) 12 एस. सी. सी. 714.

[2] (2008) 4 एस. सी. सी. 54.

[3] (1992) 1 एस. सी. सी. 489.

के अनुच्छेद 141 के अधीन कहता है जो कि विधि की घोषणा होती है, न कि जो वह पूर्ण न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 के अधीन करता है ।

35. इसके अतिरिक्त, वी. सुधीश पाल की पुस्तक "कांस्टिट्यूशनल सुप्रमेसी-ए रिविजिट" से कोट किया जाता है :–

> "निर्णयों में उद्धृत किए गए निर्णयों और मताभिव्यक्तियों को ऐक्लीड की थ्योरम या कानून के उपबंधों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए । न्यायिक अभिव्यक्तियां/उद्घोषणाएं किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के स्थापन में होती हैं । किसी कानून के शब्दों और उपबंधों का निर्वचन करने के लिए न्यायाधीशों के लिए विस्तृत चर्चाएं करना आवश्यक हो सकता है, किंतु ऐसी चर्चा का अभिप्राय स्पष्ट करना होता है कि न कि परिभाषित करना । न्यायाधीश कानूनों का निर्वचन करते हैं, उनके शब्दों का कानूनों के रूप में निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए । इसी प्रकार, नजीरों को कानूनों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए ।"

36. विधि की प्रतिपादना जो ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों से प्रकट होती है, यह है कि धारा 139 के अधीन इस उपधारणा का कि चैक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था, खंडन करने का भार अभियुक्त पर है और इस तथ्य से कि चैक पर आगे की तारीख लिखी हुई थी, चैक के लेखीवाल को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के शास्तिक उपबंधों से छुटकारा नहीं मिल जाता है ।

37. परक्राम्य लिखत अधिनियम के उपबंधों, जिनमें विशिष्ट रूप से धारा 20, 87 और 139 सम्मिलित हैं, के सार्थक अनुशीलन से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जो चैक पर हस्ताक्षर करता है और पाने वाले के हवाले करता है तो वह तब तक दायी बना रहता है जब तक वह इस उपधारणा का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता है कि चैक किसी ऋण का संदाय करने के लिए या किसी दायित्व का उन्मोचन करने के लिए जारी नहीं किया गया था । यदि चैक पर चैक के लेखीवाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं तो यह बात अतात्विक है कि चैक, चैक के लेखीवाल से भिन्न किसी अन्य

व्यक्ति द्वारा भरा गया था और यदि चैक अन्यथा विधिमान्य है, तो धारा 138 के शास्तिक उपबंध लागू होंगे ।

38. प्रत्यर्थी-अभियुक्त का यह पक्षकथन नहीं है कि उसने किसी भय या प्रपीड़न के अधीन चैक पर हस्ताक्षर किए थे या इसे उससे लिया गया था । प्रत्यर्थी-अभियुक्त का यह भी पक्षकथन नहीं है कि भरा नहीं गया हस्ताक्षरित चैक चोरी हो गया था । चैक के पाने वाले और इसके लेखीवाल के बीच वैश्वासिक संबंध होने की बात चैक के पाने वाले को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा के फायदे के हक से, असम्यक् प्रभाव या प्रपीड़न के प्रयोग के साक्ष्य के अभाव में, वंचित नहीं करेगी । दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक दिया जाता है ।

39. यहां तक कि स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए गए और अभियुक्त द्वारा सौंपे गए कोरे चैक से भी यह दर्शित करने वाले किसी सटीक साक्ष्य के अभाव में कि चैक किसी ऋण के उन्मोचन के लिए जारी नहीं किया गया था, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा लागू होगी ।

40. इस तथ्य से कि अपीलार्थी-परिवादी विधि की जानकारी रखने वाला एक आय-कर व्यवसायी था, चैक के अनादर से संबंधित विधि इसमें कोई फर्क नहीं करती है । इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण चैक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा न दिया गया हो या रसीद अभिप्राप्त न की गई हो । इस संदर्भ में, शायद यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि यह तथ्य है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपीलार्थी-परिवादी को हस्ताक्षरित कोरा चैक दिया होगा, जैसा कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा दावा किया गया है, इससे यह दर्शित होता है आरंभ में उनके बीच आपसी भरोसा और विश्वास था ।

41. ऐसे किसी निष्कर्ष के अभाव में कि प्रश्नगत चैक पर प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे या पाने वाले को स्वेच्छा से नहीं दिया गया था तथा उन परिस्थितियों के विषय में, जिनमें अपीलार्थी-परिवादी को हस्ताक्षरित कोरा चैक दिया गया था, किसी साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि चैक

अपीलार्थी-परिवादी, जो पाने वाला है, द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त, जो चैक का लेखीवाल है, के अनुरोध पर और/या उसकी उपमति से भरा गया था । भरे न गए हस्ताक्षरित चैक को बाद में भरना इसमें परिवर्तन करना नहीं है । चैक की रकम, इसकी तारीख या पाने वाले के नाम में कोई परिवर्तन नहीं था । उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप से दोषमुक्त नहीं करना चाहिए था ।

42. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके स्पष्ट गलती की है कि यह साबित करने का भार अपीलार्थी-परिवादी पर था कि उसने उधार दिया था और उसे हस्ताक्षरित कोरा चैक उसके प्रतिसंदाय के लिए दिया गया था । उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी-परिवादी का पक्षकथन अत्यंत संदेहास्पद बन गया है या युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं है, ऊपर चर्चा किए गए कारणों से स्पष्ट रूप से गलत है ।

43. ये अपीलें मंजूर की जाती हैं । उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । तथापि, प्रत्यर्थी-अभियुक्त को केवल जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 16 लाख रुपए किया जाता है और इसे प्रतिकर के रूप में अपीलार्थी-परिवादी को संदत्त किया जाएगा । जुर्माना आज की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय में जमा किया जाएगा, असफल रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित एक वर्ष का कारावास पुन: प्रवर्तित हो जाएगा । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.